

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 157 /2020

दिनांक : 19.11.2020

श्रीमती बबीता सैनी (RJ1052), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट(एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम को दिनांक 19.11.2020 से 19.12.2020 तक 31 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 20.12.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री रेणुका शर्मा (RJ1066), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर- प्रथम को श्रीमती बबीता सैनी के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट(एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम 02, जयपुर महानगर-प्रथम के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित /नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) सुश्री रेणुका शर्मा (RJ1066), जिनको विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से




रजिस्ट्रार (वर्गीकरण )

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/40/2016/ 5170

दिनांक : 19.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 5814 दिनांक 03.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती बबीता सैनी (RJ1052), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट(एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम ।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट(एन. आई. एक्ट प्रकरण), क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम ।
5. सुश्री रेणुका शर्मा (RJ1066), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर- प्रथम ।
6. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर- प्रथम ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।



सहायक रजिस्ट्रार